मतदाता सूची की तैयारी हेतु की जाने वाली कार्यवाही

1–सर्वप्रथम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी––––––– को मानकर प्रत्येक वर्श मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोशित किया जाता है। आयोग द्वारा नियत तिथि को मतदाता सूची का आलेख्य प्रका ान किया जाता है।

2–आलेख्य प्रका ान की अवधि से आयोग द्वारा नियत तिथि तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0एम0)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(तहसीलदार) कार्यालय पर अपनी तहसील के अन्तर्गत आने वाले मतदेय स्थलों से सम्बन्धित प्रारूप जमा किये जाते है आयोग द्वारा नियत वि ोश अभियान की तिथियों में भी समस्त पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा भी फार्म जमा किये जाते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय सहित उक्त स्थलों पर सम्बन्धित क्षेत्र की मतदाता सूची निः ुल्क जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहती है। मतदाता सूची की तैयारी हेतु जनता द्वारा निम्न प्रकार के प्रारूप प्रयोग किये जाते है जो पर्याप्त मात्रा में सम्बन्धित तहसील/पदाभिहित स्थलों पर उक्त अवधि में उपलब्ध रहता है।)

(क) प्रारूप–6 (मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु):– जिन मतदाताओं की आयु अर्हता तिथि तक 18वर्श हो गयी हो परन्तु उनके नाम मतदाता सूची में अंकित न हो वे उक्त अवधि में मतदाता सूची का निरीक्षण कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाये जाने हेतु उक्त नियत स्थलों पर प्रारूप–6 भरकर जमा करते हैं।

(ख)प्रारूप–7 (मतदाता सूची से नाम निकालने हेतु):– यदि किसी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में अंकित है तो उसे मतदाता सूची से हटाये जाने हेतु प्रारूप–7 का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है।

(ग)प्रारूप–8 (मतदाता सूची में अंकित त्रुटिपूर्ण प्रविश्टियों को भाुद्ध करने हेतु):– यदि मतदाता सूची में मतदाता का नाम या अन्य कोई प्रविश्टियां त्रुटिपूर्ण होती है तो उसे भाुद्ध किये जाने हेतु मतदाता द्वारा प्रारूप–8 का उपयोग किया जाता है।

(घ) प्रारूप–8क (मतदाता सूची में अंकित प्रविश्टियों को उसी विधान सभा के अन्यत्र मतदेय स्थल पर रखने हेतु) किसी मतदाता का नाम यदि उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर अंकित कराने हेतु प्रारूप 8क का प्रयोग किया जाता है।

3–आयोग द्वारा दावे/आपत्तियॉ प्राप्त करने की तिथि समाप्त होने पर आयोग द्वारा नियत तिथि तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लेखपालों के माध्यम से प्राप्त दावे/आपत्तियों की जांच कराई जाती है तत्प चात पात्र व्यक्तियों से सम्बन्धित विधानसभावार/मतदेयस्थलवार उक्त प्रारूपों की अलग–अलग सूचियॉ तैयार कराई जाती है। इसके उपरान्त ऐसी सूचियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय को डाटा इन्ट्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

4–जिला निर्वाचन कार्यालय आयोग द्वारा नियत तिथि तक उक्त स्वीकृत प्राप्त सूचियों की डाटा इन्ट्री कराकर एक चेकलिस्ट प्राप्त करता है जिसे पुनः सम्बन्धित तहसील के कर्मियों द्वारा मिलान किया जाता है। मिलान में पाई गई त्रुटियों को

तहसील कर्मियों द्वारा चिन्हित किया जाता है। चिन्हित त्रुटियों को पुनः भाुद्ध कराकर फाइनल लेजर प्रिन्ट निकलवाया जाता है। तत्प चात आयोग द्वारा नियत तिथि को तैयार मतदाता सूची का अन्तिम प्रका ान किया जाता है। मतदाता सूची का सम्पूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होता है।